दिनांक 29.02.2024 स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

निगम अधिकारी कर्मचारी को वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने एवं सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा।

भिलाईनगर। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने निगम के सभी अधिकारी कर्मचारियो को दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना एवं चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करने हेतु निर्देश पत्र जारी किये है।

कलेक्टर दुर्ग के परिपत्र 1029 के परिपालन में आयुक्त ने जारी निर्देश मे कहा है कि निगम अधिकारी कर्मचारियो को दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने एवं चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना अनिवार्य होगा । यातायात नियमो का अंदेखा करने वालो पर पुलिस द्वारा कि जाने वाली कार्रवाई के अलावा विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी किया जावेगा।